प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88—53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं खाता तकसीम

डिक्री

दिनांक :— 06/11/2025

वादी की ओर से श्री जगराज सिंह भारी अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 की ओर से श्री कमलेश कुमार व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को **उमा मित्तल आर.ए.एस.** उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88—53 के अन्तर्गत वाद मे निम्नानुसार घोषणा की जाकर वादी का खाता विभाजन किया जाता है —

वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि—तहसील पीलीबंगा के चक 5 युएमडब्ल्यू के खाता सं. 37/45 के प.नं. 18/213 (37) की 0.633 हैक. नहरी भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है रकमराज अलग कायम की जावे। शेष कृषि भूमि प्रतिवादी सं.1 के नाम यथावत रहेगी।

तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होनें, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नहीं होनें की व समस्त प्रकार के भार मुक्त होनें तथा किसी प्रकार के राजस्व हानि न होनें की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.18 15:22:35 IST
Reason: SelfAttested

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 06/11/2025...... को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2025.12.18 15:22:35 IST
Reason: SelfAttested